सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 27 जून, 2018 ई0

आषाढ़ 06, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग–01

संख्या 810/XIV-1/2018–07(04)2016

देहरादून, 27 जून, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2013) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा अपने निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों को विनियमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ — 1 (1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018" कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषा — 2 (1) जब तब प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से "उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" अभिप्रेत है;

(ग) "सहकारी नियमावली" से उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 अभिप्रेत है।

(घ) "निर्वाचन" से :–

(1) प्रतिनिधियों, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या

(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति अथवा अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन अभिप्रेत है,

(ड.) "मतदाता" से कोई ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि अभिप्रेत है जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा–20 के अधीन नाम निर्दिष्ट या सहकारी समिति के नियम–470 के अधीन सहयोजित या नियम–471 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिए तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हो;

(च) "मतदाता सूची" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों/सदस्यों की सूची;

(दो) समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में, सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी निर्वाचित, सहयोजित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सूची;

(तीन) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहां से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता हो, सदस्यों की सूची;

(छ) "उम्मीदवार से अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करता है–

(एक) प्रतिनिधि के रूप में, या

(दो) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में

(तीन) सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति के रूप में;

(ज) "अनुसूचित जाति" "अनुसूचित जनजाति" और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो से, जो उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है, अभिप्रेत है।

(झ) "मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी" से सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के संयुक्त निबन्धक/मण्डलीय उप निबन्धक,

सहकारिता, उत्तराखण्ड अथवा ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ) ''जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत हैं, जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो;

(ट) ''जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' से सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के ''जिला सहायक निबन्धक'' सहकारिता अथवा ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ठ) ''निर्वाचन अधिकारी'' से राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी ऐसे समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गो या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(ड) ''सहायक निर्वाचन अधिकारी'' से निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिए जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) ''मतदान अधिकारी''से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मतदान स्थल के लिए नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है जिसे निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने और ऐसे अन्य कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, जो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित है;

(ण) ''सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक'' से ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों या समितियों के किसी वर्ग या वर्गो की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकिया की निष्पक्षता एवं नियम संगत कार्यवाही का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु नियुक्त किया गया हो;

(त) ''चुनाव चिन्ह'' से प्राधिकरण द्वारा सहकारी समिति के उम्मीदवारों के निर्वाचन हेतु अनुमोदित प्रतीक चिन्ह अभिप्रेत है;

(थ) ''निर्वाचित क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां से निर्दिष्ट संख्या में निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन हेतु जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय ;

(द) ''निर्वाचन स्थल'' से समिति के कार्यालय या मुख्याल. या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकटतम किसी सार्वजनिक स्थल अभिप्रेत है;

(ध) ''मतदान स्थल'' से समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी सार्वजनिक स्थल अभिप्रेत है तथा सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान होगा, जैसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो;

(न) "निर्वाचन वाद" से समिति के निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन संस्थित वाद अभिप्रेत है;

2 इस नियमावली में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और सहकारी नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–2
सहकारी समितियों के निर्वाचन

निर्वाचन

3 उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग या वर्गो का निर्वाचन अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार होगा।

सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक के कर्तव्य

4 सहकारी समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्ति के दिनांक के 4 मास पूर्व, उस जिले, जिसमें समिति का पंजीकृत मुख्यालय स्थित है, के जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा उस प्राधिकारी, जिसे समिति के किसी वर्ग या वर्गो के लिए प्राधिकरण द्वारा, ऐसे प्रयोजन के लिए अधिकृत किया गया हो, को लिखित रूप से समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से सूचना देगा और अवधारण शुल्क जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समिति के निर्वाचन कराये जाने का अनुरोध करेगा।

जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

5(क) सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जनपद की समस्त ऐसी समितियों, जिनका कार्यकाल आगामी 4 मास के भीतर समाप्त हो रहा हो, की संकलित सूचना प्राधिकरण को दे और निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित किये जाने की संस्तुति करें।

(ख) सहकारिता एवं अन्य विभागों की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्राधिकार की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी एवं प्राधिकरण की या प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा किये जाने पर उपलब्ध कराए।

निबन्धक का उत्तरदायित्व

6 उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में किसी बात के होते हुए भी निबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी नई समिति को पंजीकृत करने के पश्चात अथवा अधिनियम की धारा 35 के अधीन प्रबन्ध कमेटी को अवक्रमित किये जाने अथवा समिति के समामेलन, विभाजन, अवकान्त या अन्य आकस्मिक दशाओं में गठित अन्तरिम कमेटी की तत्काल सूचना प्रबन्ध कमेटी के सम्यक निर्वाचन कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण को प्रदान करे।

उक्त के अतिरिक्त निबन्धक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि किसी समिति को परिसमापित किये जाने अथवा निबन्धन निरस्त किये जाने का

आदेश दिये जाने पर उक्त आदेश के सम्बन्ध में प्राधिकरण को संसूचित करते हुए यह अनुरोध करे कि सम्बन्धित समिति का निर्वाचन न कराया जाये।

निर्वाचन अधिकारी के आदेश का पालन न करने पर दंड

7 जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी या निबन्धक या समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक से निर्वाचन कराये जाने की सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए निर्वाचन का दिनांक निर्धारित करेगा। प्राधिकरण द्वारा ऐसा किये जाने पर उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी जहां समिति का मुख्यालय स्थित हो, नियत दिनांकों को निर्वाचन कराने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रयोजन के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाओं की उसके द्वारा अपेक्षा की जा सकती है और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो उसका पालन न करना अपराध समझा जायेगा, जिसके सिद्ध होने पर वह जुर्माने से जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है या कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी एवं अन्य सहकारी संस्थाओं की शाखाओं के सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन कराने का प्राधिकार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होगा जहां ऐसी शाखा स्थित हो;

निर्वाचन की दिनांक

8 किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन ऐसी दिनांक को होगा, जो प्राधिकरण नियत करे और सम्बद्ध जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार नियत किये गये दिनांक पर, इस प्रयोजन के लिए समितियों के भिन्न–भिन्न वर्ग या वर्गो के लिए या भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए एक या एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा;

परन्तु यह कि उस विभाग का जो समिति के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बद्ध हो, कोई अधिकारी/कर्मचारी, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

निर्वाचन अधिकारी का कृत्य

9 निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस नियमावली के अधीन व्यादिष्ट किये जाये या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रासंगिक या आवश्यक हों, किन्तु किसी निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी जिसे जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा।

मतदान अधिकारी की प्रतिनियुक्ति

10 इस नियमावली के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसे सरकारी सेवकों में से, जो समितियों के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध न हो, निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिए मतदान अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकता है।

अभिलेखों का उपलब्ध कराया जाना

11 समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा सम्बद्ध सहकारी समिति का प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने में निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिए बाध्य होंगे और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनकी निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु अपेक्षा की जाय।

मतदाता सूची का तैयार किया जाना

12 (क)समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिनमें नाम के सम्मुख अधिनियम, निर्वाचन नियमों अथवा उपविधियों में वर्णित कोई अनर्हता, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और इस सूची में निर्वाचन के दिनांक के 45 दिन पूर्व सम्यक रुप से नामांकित सदस्य, साधारण सदस्य या सहानुभूतिकार सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे।

(ख) कृषि ऋण सहाकारी समितियों के मामले में, वही सदस्य मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे, जिनके द्वारा निर्वाचन तिथि के 45 दिन पूर्व विगत 3 सहकारी वर्षों के दौरान कम से कम किसी वर्ष में समिति से लेन–देन किया गया हो।

परन्तु यह कि जिन समितियों के सामान्य निकाय का गठन व्यक्तिगत सदस्यों एवं समिति के प्रतिनिधियों द्वारा अथवा केवल समिति के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उनकी मतदाता सूची सहकारी नियमावली के नियम–85 के अधीन तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची, अनन्तिम मतदाता सूची कहलायेगी जिस पर सचिव या प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर और मोहर होंगेः–

परन्तु यह और कि ऐसी समिति जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अवक्रमित की गई हो, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

मतदाता सूची का प्रदर्शन

13 नियम–12 के अनुसार तैयार की गई अनन्तिम सूची, निवार्चन अधिकारी द्वारा उस दिनांक, समय और स्थान पर जो निर्वाचन कार्यक्रम में अधिसूचित की जाये, प्रदर्शित की जायेगी।

नाम निर्देशन पत्र की वैधता

14 कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पद के लिये साथ–साथ निर्वाचन लड़ने के लिये अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नाम–निर्देशन–पत्र वैध पाये जायें तो उसे केवल एक पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिये अपना नाम–निर्देशन–पत्र वापस लेगा। ऐसी वापसी के लिये निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे, तो उसके समस्त नाम–निर्देशक–पत्र अवैध हो जायेंगे।

सदस्य का मताधिकार

15 सहकारी समिति के अर्ह साधारण एवं सहानुभूतिकार सदस्य को, चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के निर्वाचन में केवल एक मत देने का अधिकार होगा।

मतदान का स्थगन

16 यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम 39 के अधीन विधि द्वारा मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को स्थगित कर देगा और इसकी सूचना जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और प्राधिकरण को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेंगे, किन्तु उस व्यक्ति के लिये जो मतदान स्थगित किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसमें मतदान स्थगित कर दिये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे स्थगन किये जाने के पश्चात नामांकन दाखिल किये जाने के लिये अर्ह न होगा और मतदान ऐसे स्थगन के पश्चात उस दिनांक को होगा जो प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाये।

हिंसा बलवा या प्राकृतिक आपदा के कारण मतदान स्थगन

17 समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रकिया प्रारम्भ हो जाने पर, नियम–16 में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कोई निर्वाचन प्रकिया रोकी नहीं जायेगी।

परन्तु यह कि यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाये या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्वाचन कराया जाना संभव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिये नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और प्राधिकरण को दी जायेगी जिस पर प्राधिकरण निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगा।

परन्तु यह और कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही मतदान डायरी में पूरे घटनाक्रम का कमबद्ध/समयबद्ध वर्णन करने के पश्चात ही निर्वाचन प्रकिया स्थगित की जायेगी।

स्थगन के पश्चात् निर्वाचन प्रकिया

18 यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रकिया उस प्रकम से, जहां पर उसे रोका गया था या उससे पूर्व के प्रकम से या नये सिरे से, जैसा कि प्राधिकरण विनिश्चय करे, प्रारम्भ की जायेगी।

परन्तु यह कि यदि नामांकन के पश्चात वैध नाम–निर्देशन पत्रों पर चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा जो प्राधिकरण नियत करें।

परन्तु यह और कि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन सहकारी नियमावली के नियम 441 के अधीन स्थगित किया जाता है तो निर्वाचन की समस्त प्रकिया नये सिरे से उस तिथि से प्रारम्भ की जायेगी जो प्राधिकरण द्वारा नियत की जाये।

मतपत्रों की गणना 19 प्रत्येक निर्वाचन में मतदान समाप्त होने के पश्चात मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 44 में विहित रीति और प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अधीन करायी जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहें।

रिक्त स्थानों का निर्वाचन 20 यदि निर्वाचन के पश्चात किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या से कम पायी जाती है तो रिक्त स्थानों के लिये निर्वाचन यथासम्भव शीघ्र कराये जायेंगे।

परन्तु यह कि सभापति/उपसभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये मताधिकारी प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्य का होना अनिवार्य है।

समिति की परिसमाप्ति 21 यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि समिति की निष्क्रियता या अन्य कारणों से किसी समिति का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है, तो प्राधिकरण ऐसी समिति विशेष को परिसमाप्त किये जाने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारी को संस्तुति कर सकता है और सम्बन्धित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि समिति को सुनवाई का अवसर देते हुये विधि अनुसार समिति को परिसमाप्त करने या समिति का पंजीकरण निरस्त किये जाने की कार्यवाही करें।

निर्देशों की बाध्यता 22 सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देश बाध्यकारी होंगे।

अध्याय–3
सामान्य निकाय एवं प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन क्षेत्र का अवधारण

क्षेत्र अवधारण 23 प्राधिकरण द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिये निर्वाचन तिथियां अधिसूचित किए जाने के पश्चात सम्बन्धित सहकारी समिति अथवा सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिये क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही की जाएगी।

प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही 24 समस्त प्रकार की प्रारम्भिक सहकारी समितियों के पंजीकृत मुख्यालय से सम्बन्धित जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम–27 एवं 28 में विहित रीति एवं प्राधिकरण द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशों के अधीन आवश्यक होने पर सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उप सभापति तथा अन्य सहकारी समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु यह कि जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

राज्य स्तरीय समिति का क्षेत्र अवधारण

25. राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

सचिव या प्रबन्ध निदेशक द्वारा सूचनायें

26 निर्वाचन क्षेत्रों के लिये समिति का सचिव अथवा यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक, वह समस्त सूचनायें अथवा तथ्य, जिसकी अपेक्षा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर की जाए, उपलब्ध करायेगा।

क्षेत्र अवधारण की प्रक्रिया

27(1) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या यथास्थिति, सहकारी समिति के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा प्राधिकरण अथवा प्राधिकृत अधिकारी, सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या यथास्थिति सहकारी समिति के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन के लिये अनन्तिम रुप से निम्नलिखित बातों का अवधारणा करेगा:–

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, जिसमें सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किया जायेगा,

(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार,

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये आवंटित स्थानों की संख्या,

(घ) क्षेत्र का चिन्हांकन तथा आरक्षित स्थानों की संख्या:

परन्तु यह कि निर्वाचन क्षेत्रों का नाम हिन्दी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा।

(2) तदुपरान्त जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी अनन्तिम रुप से किये गये अवधारण पर आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिये, सुनवाई की तिथि अंकित कर उक्त अवधारण को किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जिसमें ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। जिसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी टीका–टिप्पणी के लिये भेजी जायेगी।

परन्तु यह कि प्रारम्भिक, जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में प्रकाशन मण्डल से प्रसारित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में प्रकाशन मण्डल स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के सभी संस्करणों में प्रकाशित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे प्रारम्भिक, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति, जिसका कार्यक्षेत्र एक राजस्व जनपद से अधिक हो, के अनन्तिम

अवधारण का प्रकाशन ऐसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्र, जो समिति के कार्यक्षेत्र में प्रसारित होता हो, में किया जायेगा।

(3) निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण का मापदण्ड निम्नलिखित में एक या अधिक हो सकता है, अर्थातः—

(क) राजस्व क्षेत्र

(ख) सदस्यता का/के वर्ग

(ग) समिति के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अन्य तर्क संगत आधारः—

परन्तु यह कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति अथवा प्रारम्भिक गन्ना समिति/दुग्ध समिति की स्थिति में अवधारण की इकाई यथासम्भव समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली एक या अधिक ग्राम पंचायत होगी।

(4)(क) अनन्तिम अवधारणा के अधीन प्राप्त आपत्तियों और टिप्पणियों पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रकाशन के ग्यारहवें/बारहवें/तेरहवें दिन, जैसा कि अनन्तिम अवधारण में उल्लिखित हों, में सम्बन्धित आपत्तिकर्ता से सुनवाई कर विचार करेगा और सुनवाई के पश्चात सम्बन्धित पंजिका पर आपत्ति एवं सुनवाई में प्राप्त कथन का संक्षिप्त विवरण अंकित कर उस पर आपत्तिकर्ता से हस्ताक्षर करायेगा और स्वंय भी हस्ताक्षर करेगा।

(ख) प्रश्नगत सुनवाई में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित उल्लिखित तथ्यों की प्रतिलिपि आपत्तिकर्ता द्वारा दस रुपये प्रति पृष्ठ जमा करा प्राप्त की जा सकती है।

(5) तदुपरान्त, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक टिप्पणी सम्बन्धित पंजिका में अंकित करते हुए निर्वाचन क्षेत्रों, स्थानों की संख्या और आरक्षित स्थानों की संख्या का अन्तिम अवधारण करेगा। इस प्रकार किये गये अन्तिम अवधारण को अनन्तिम प्रकाशन के पन्द्रहवें दिन ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा, जैसा उपनियम (2) में उल्लिखित है। ऐसे अवधारण की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध समिति को भी जायेगी।

निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण

28 जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 415(1) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के कम में रखकर चकानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो:—

परन्तु यह कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के कम में आवंटित किया जायेगा:—

(1) एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये,
(2) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिये,
(3) दो महिलाओं के लिए:

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।

निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

29 जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि समितियों के अवधारण से सम्बन्धित अनन्तिम एवं अन्तिम अवधारणा की एक प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा प्राधिकरण को भी उपलब्ध करायेगा।

अध्याय–4
सामान्य निर्वाचन प्रकिया

निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति

30 प्राधिकरण द्वारा किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किए जाने पर उस जिले का जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जिसमें समिति का मुख्यालय स्थित हो, प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन

31 जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों की ऐसी सहकारी समितियों, जिनका मुख्यालय उसके सम्बन्धित जिले में है और जिनका निर्वाचन होना है, के निर्वाचन से सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनन्तिम क्षेत्र अवधारण के पश्चात प्रकाशित करेगा।

निर्वाचन स्थल का निर्धारण कर सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाना

32 उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन में जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी निर्वाचन हेतु निर्वाचन स्थल एवं मतदान स्थल का निर्धारण करेंगे और उसे सूचना में अंकित करेंगे और सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, से यह अपेक्षा करेंगे कि उक्त कार्यक्रम की एक प्रति समिति के सूचना पट पर चस्पा की जाये;

परन्तु यह कि मतदान का स्थान समिति का कार्यालय या मुख्यालय होगा. परन्तु अपरिहार्य कारणों से सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकट कोई सार्वजनिक स्थल भी हो सकता है।

परन्तु यह और कि सहकारी नियमावली के नियम 79 में यथा उल्लिखित समिति के प्रतिनिधियों के चुनाव के मामले में मतदान का स्थल समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक जैसा कि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, हो सकता है।

मतदाता सूची का प्रदर्शन

33(क)समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित करें।

परन्तु यह कि उक्त सूचना प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित विकास खण्ड, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्यालय एवं राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में निबन्धक तथा प्राधिकरण के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(ख) निर्वाचन कार्यक्रम में निम्नलिखित को प्रदर्शित किया जायेगाः–

(एक) अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक,

(दो) अन्तिम मतदाता सूची पर आपत्तियां दाखिल करने और उनके निस्तारण का दिनांक समय और स्थान

(तीन) अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक,

(चार) नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक, समय और स्थान

(पांच) नाम–निर्देशन पत्रों के परिनिरीक्षण का दिनांक, समय और स्थान

(छः) नाम–निर्देशन पत्र वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान

(सात) निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने और अन्तिम नाम निर्देशन प्रदर्शित करने का दिनांक, समय और स्थान

(आठ) मतदान का दिनांक, समय और स्थान

(नौ) वह स्थान जहां मतदाता द्वारा मतदाता सूची का निरीक्षण किया जा सकता है।

(दस) निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, जिसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित है और निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्याः–

परन्तु यह कि क्रमांक–(एक) से (आठ) में दिनांक एवं समय वह होगा, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाये तथा क्रमांक–दस की सूचना एवं स्थान वह होगा, जो जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाये।

अनन्तिम मतदाता सूची तैयार किया जाना

34 निर्वाचन से सम्बद्ध समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक नियम–12 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित आधार पर अनन्तिम मतदाता सूची तैयार करेगाः–

(एक) उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग–अलग सदस्य हों या उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों,

(दो) उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग–अलग सदस्य और समिति सदस्य सम्मिलित हों, अलग–अलग सदस्यों की एक सूची तीन प्रतियों में तैयार करायेगा, जिसमें उस दिनांक को जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, समिति की पुस्तिकाओं में अंकित नाम, पिता का नाम, पता, अनर्हता यदि कोई, दिखाया जायेगा, जिसे आगे अनन्तिम सूची कहा गया है और यह सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:—

(क) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, प्रारम्भिक गन्ना समितियों एवं प्रारम्भिक दुग्ध समितियों की स्थिति में ग्राम पंचायतवार/ राजस्व ग्रामवार,

(ख) नगर क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक सहकारी समितियों, जिसमें उपभोक्ता सहकारी समितियां भी है, में मौहल्लावार/वार्डवार और नगर क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार,

(ग) अन्य समितियों की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रवार या सभी सदस्यों के आनुपातिक क्रमानुसार/निर्वाचन क्षेत्रवार या अन्य किसी तर्कसंगत आधार जैसा कि, प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाये।

परन्तु यह कि ऐसी सहकारी समिति की स्थिति में जिसकी सदस्य अन्य समितियों या खण्ड (2) के अन्तर्गत आने वाली समितियां हो, ऐसी सूची समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम एवं पता सहित या यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के पूर्व प्राप्त न हुए हो, तो वर्तमान प्रतिनिधियों के नाम सहित, टिप्पणी अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी एवं अन्य संस्थाओं जिनकी शाखाओं या ऐसी समितियों जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिले में हो और जिसकी सदस्यता में अलग–अलग सदस्य हों, ऐसी सूची, यथास्थिति उप कार्यालय के प्रभारी या सम्बद्ध शाखा के शाखा प्रबन्धक द्वारा तैयार की जायेगी और निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अनन्तिम मतदाता सूची को समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को यथासमय उपलब्ध करायेगा।

अनन्तिम मतदाता सूची का प्रदर्शन

35 निर्वाचन अधिकारी उक्त अनन्तिम मतदाता सूची को निर्वाचन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के मुख्यालय या आवश्यकतानुसार समिति के उप कार्यालय/शाखाओं के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

आपत्तियों का निस्तारण

36 अनन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुना जायेगा और उसका निस्तारण करते हुए अन्तिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

भुगतान पर

37 अन्तिम मतदाता सूची जो निर्वाचन–क्षेत्रवार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा

मतदाता सूची का प्राप्त किया जाना

उक्त निस्तारण करते हुए तैयार की गयी थी, को उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित हुए उसे निर्वाचन स्थल, समिति के मुख्यालय और आवश्यकतानुसार समिति के उप कार्यालय या शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची रू0 10 प्रति पृष्ठ अथवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा नियत मूल्य का भुगतान करने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से समिति के मुख्यालय/शाखा से प्राप्त की जा सकेगी।

सक्षम प्राधिकारियों को मतदान सूची का प्राप्त कराया जाना

38 अन्तिम मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को भी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

नाम निर्देशन प्रपत्र की फीस

39 (1) कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित फीस देकर नाम–निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र–ट) निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है:–

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थिति में:–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु– पाँच सौ रूपये

(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु– एक हजार रूपये

(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु – दो सौ रूपये

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में:–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु– एक हजार रूपये

(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु– दो हजार रूपये

(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु – पाँच सौ रूपये

(ग) राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति में:–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु – दो हजार रूपये

(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु– पाँच हजार रूपये

(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु – एक हजार रूपये

(2) उपनियम (1) में निर्धारित शुल्क की धनराशि, प्राधिकरण द्वारा नियत बैंक खाते अथवा निर्वाचन अधिकारी को अदा करके प्रपत्र 'ट' एवं सम्बन्धित शुल्क की रसीद अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कर नामांकन प्रपत्र उक्त रसीद के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) समिति के निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि नामांकन शुल्क एवं अन्य मदों में प्राप्त धनराशि, प्रत्येक दशा में निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियत किये गये बैंक खाता में जमा कर उसका विवरण एवं प्रमाण जिला सहायक सहकारी निर्वाचन/अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

नाम निर्देशन पत्र भरा जाना और प्रस्तुत करने की प्रकिया

40(1) किसी भी व्यक्ति का नाम निर्देशन प्रपत्र समिति का निर्वाचन अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा यदि वह व्यक्ति—

क— मतदान के लिए पात्र न हो,

ख— अधिनियम, निर्वाचन नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्वाचन के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो।

(2) नाम निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र "ट" में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम—निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जायेगी।

(3) उम्मीदवार अपना नाम—निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, प्रत्येक दशा में कालानुक्रम में की जायेगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा और प्रपत्र "ट" की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित उम्मीदवार या उसके नामित अभिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

परन्तु यह कि नाम—निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य अर्ह मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेंगी:—

(क) उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ख) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ग) नाम—निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा;

(5) निर्वाचन अधिकारी, नाम—निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात रजिस्टर में अन्तिम नाम—निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक पड़ी रेखा खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम—निर्देशन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करेगा। नाम—निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नाम—निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य विर्निदिष्ट दिनांक को वर्णमाला क्रम में करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तावक या अनुमोदक परिनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(7) नाम—निर्देशन की परिनिरीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी—

(क) नाम–निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समनुवर्ती प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है।

(ख) जहां आवश्यक हो, वहां पर निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों में किसी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान न दिया जाये।

(8) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चिय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मींदवार का नाम निर्देशन अस्वीकरण किया जाय, वह 10 रूपये की फीस निर्वाचन अधिकारी के पास नगद जमा कर अस्वीकरण आदेश की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

(9) नाम–निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(10) जहां निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन वापस लेने के पश्चात नाम–निर्देशन को अन्तिम रूप दे दें, वहां पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह/चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए आवंटित करेगा और यदि विधिमान्य नाम–निर्देशन की संख्या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है, जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बन्धनकारी होगा।

(11) अन्तिम नाम–निर्देशनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम उनके अपने–अपने चिन्ह और नाम–निर्देशन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम में दिये गये होंगे, निर्धारित कार्यक्रम पर नियम 36 में विहित रीति से प्रदर्शित की जायेगी।

मतदान की गोपनीयता

41 प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिए या मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

मतदान अधिकारी के कृत्य

42 कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है या निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिए नियुक्त

किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो।

नाम निर्देशन की संख्या का कम या ज्यादा होना एवं शलाका–पत्र

43(1) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, नाम वापसी के पश्चात् तत्काल उसी दिनांक को उन्हें सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) जहां विधिमान्य नाम–निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नियत समय एवं दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जो प्राधिकरण के द्वारा मुद्रित होगा, जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित होगां इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्तियों के नाम के सामने, जिन्हें वह मतदान करना चाहे, एक चिन्ह (X) अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) शलाका–पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान शलाका–पत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रॉस का चिन्ह (X) लगायेगा और तदुपरान्त शलाका पत्र को गुप्त रूप से शलाका पेटी में डाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे, जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है, किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए दस रूपयें की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्ततः जांच करेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नहीं होती है तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को शलाका–पत्र देगा, जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द "आपत्तिकृत मत" पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन शलाका पत्र दिये जाने के

पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, गुप्त रूप से क्रॉस का चिन्ह (X) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को मतदाता सूची में दिये गये किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये, ऐसे मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात शलाका पत्र के लिए आवेदन करता है तो उसे निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में समाधान करने के पश्चात एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में शब्द "निविदत्त शलाका पत्र" पृष्ठांकित किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, शलाका पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह (X) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(14) मतदान करने वाले मतदाता को अपने मत का प्रयोग किए जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र से निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यदि हस्ताक्षरित मतपत्र बच जाता है तो उसे एक अलग लिफाफे में रखा जाएगा और मतदान के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर प्रयोग किए गए मतपत्र, हस्ताक्षरित शेष मतपत्र, शेष सादे मतपत्र आदि की सूचना भरकर लिफाफे में रखा जाएगा।

(16) निर्वाचन अधिकारी द्वारा डायरी में शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न होने की स्थिति में टिप्पणी करते हुए डायरी को अलग लिफाफे में रखा जाएगा। उक्त डायरी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात सम्बन्धित अभिलेखों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में निर्धारित अवधि तक रखा जाएगा।

मतों की गणना

44(1)(क) मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतों की गणना की जाएगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो, मत पेटियाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा मोहर बन्द कर दी जाएगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जाएगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि ऐसा चाहे, लगा सकता है।

(ख) निविदत्त मत एवं आपत्तिकृत मत की गणना उन्हीं परिस्थितियों में की जाएगी जब कुल पड़े मतों से परिणाम घोषित किया जाना सम्भव न हो अर्थात किन्हीं दो या अधिक उम्मीदवारों के मतो की संख्या बराबर हो जाए।

(2) कोई शलाका– पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि–

(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(2) उस समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हो।

(3) यदि किसी शलाका–पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतो की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में मामले का विनिश्चय पर्चा डालकर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– निर्वाचन अधिकारी द्वारा समान रंग एवं आकार की पर्ची पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर तथा पर्ची को इस प्रकार मोड़कर की उम्मीदवार का नाम पढ़ा न जा सके, शलाका पत्र पेटी में डालेगा और उम्मीदवार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से पेटी से एक पर्ची निकलवाएगा। उस पर्ची पर अंकित नाम वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

(6) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी जहां पर उचित समझे प्रदर्शित करेगा।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी एवं अन्य संस्थाओं जिनकी शाखाओं या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रदर्शन ऐसी सहकारी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जाएगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, प्राधिकरण या सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजी जाएगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कन्टेनर) में रखे जाएगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भेज देगा, जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्राधिकरण को निर्दिष्ट न किया जाए तो दो माह तक उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा,

परन्तु यह कि किसी निर्वाचन वाद अथवा किसी न्यायालय में निर्वाचन सम्बन्धी याचिका के लम्बित न रहने की स्थिति में समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसे नष्ट कर दिया जाएगा,

परन्तु यह और कि सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो का यह उत्तरदायित्व होगा कि अभिलेखों को नष्ट किए जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वारा विहित प्रारूप पर उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करे और उसे सहकारी समिति में रखा जाएगा।

(9) विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों में प्राधिकरण जनपद की सभी अथवा किसी वर्ग या वर्गों या किसी विशिष्ट समिति की मतगणना अन्य स्थान पर कराने के निर्देश दे सकता है और ऐसी मतगणना प्राधिकरण द्वारा यथा नियत दिनांक को ही करायी जाएगी।

अध्याय–5

सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन

सभापति/उप सभापति एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन

45(1) सम्बन्धित सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्धारित दिनांक एवं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी ऊपर उल्लिखित नियमों में उपबन्धित की गयी है।

(2) सभापति एवं उपसभापति, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएगें।

(3) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्य, अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह सहकारी समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेगें,

परन्तु यह कि जहां किसी दुग्ध उत्पादक समिति के किसी सामान्य निकाय में किसी अन्य दुग्ध उत्पादक समिति का, प्रतिनिधित्व किया जाना हो, वहां ऐसी समिति का प्रतिनिधित्व उसके सभापति द्वारा किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन प्रतिनिधि की अर्हताएं पूरी करता हो।

प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल

46(1) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कार्य काल 5 वर्ष का होगा, जिसकी गणना उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>– प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व किसी सहकारी समिति का निर्वाचन होने की दशा में, नवनिर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यभार निवर्तमान प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के अगले कार्यदिवस को माना जाएगा तथा किसी निवर्तमान प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन होने की स्थिति में प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिवस से कार्यकाल की गणना होगी।

(2) सभापति/उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के सहविस्तारी होगा।

(3) सहयोजित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के सहविस्तारी होगा।

परन्तु यह कि यदि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसके मौलिक कार्यकाल के आधे से कम हो तो प्रबन्ध कमेटी में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उस सहकारी समिति के अर्ह सदस्यों में से जिसमें आकस्मिक रिक्ति हुई है, प्रबन्ध कमेटी द्वारा नाम–निर्देशन द्वारा की जा सकती है।

अध्याय–6
अनर्हता

सदस्य की अनर्हता

47(1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत मन का हो;

(घ) उसे, प्राधिकरण की राय में नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष सिद्ध अपील में रद्द न की गयी हो;

(ङ) वह या प्राधिकरण की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करें या करता हो, जैसा सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जा रहा हो;

(च) वह अधिनियम या सहकारी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल सहकारी समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करें;

(छ) वह सहकारी समिति के अधीन या किसी अन्य सहकारी समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करें या धारण करता हो;

परन्तु यह कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते है;

(ज) वह सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

परन्तु यह कि, इस खण्ड के उपबन्ध उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 473 के उप नियम 5 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होगें;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिए गए ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समिति का (कम से कम 6 मास की अवधि से) बाक़ीदार हो, या वह सहकारी समिति का अधि–निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक एक केन्द्रीय और एक शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हक़दार होगा। ऊपर विर्निदिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जाएगा कि उसने एक शीर्ष सहकारी समिति और एक केन्द्रीय सहकारी समिति और एक प्राथमिक सहकारी समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त सहकारी संमिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह ऐसी किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्ति कर दी गयी हो कि सहकारी समिति का, निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया था और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या सहकारी समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो;

(त) यदि वह किसी गैर ऋण सहकारी समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उत्तराखण्ड को–आपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि है और वह सहकारी समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है;

(थ) यदि वह प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा ऐसी समिति में जमा धनराशि एक हजार रूपये से कम हो गयी हो;

(द) प्राधिकरण की राय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझकर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूट रचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया हो;

(ध) यदि उसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय से दो वर्ष से अधिक का कारावास हुआ हो और जिसके विरूद्ध कोई स्थगनादेश प्राप्त न किया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त न किया गया हो।

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा;

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाए, आमेलन या नाम–निर्देशन द्वारा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तो के अधीन लागू होगी;

(क) खण्ड ज में निर्धारित अनर्हताएं प्रबन्ध कमेटी के किसी नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य पर लागू न होगी जिसके सहयोजन हेतु सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय की सदस्यता कोई शर्त नहीं थी;

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में निर्धारित अनर्हता दोष सिद्धि के अधीन अर्थदण्ड देने, या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के बाद, जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात समाप्त हो जाएगी;

(ग) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू न होगी, जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में नामांकित किया गया हो;

(घ) कारागार के बन्दियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जेल में बनी सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 47 के उपनियम (1) का उपखण्ड (क), (छ), (झ), (ङ)व (ध) लागू नहीं होगें।

प्रबन्ध कमेटी का कर्तव्य

48 किसी सहकारी समिति के प्रबन्ध कमेटी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जाये, प्रबन्ध कमेटी के सदस्य का पद धारण न किये रहे। ज्यों ही यह तथ्य प्रबन्ध कमेटी की जानकारी में आये, कि कोई सदस्य किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, चाहे वह ऐसे सदस्य होने के पूर्व या उसके पश्चात् अनर्ह हुआ हो, कमेटी इस विषय पर एक बैठक में विचार करेगी, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई जायेगी। ऐसी बैठक की कार्यसूची की एक प्रति उस सदस्य को, जिसके विरूद्ध कार्यवाही करने

का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) दी जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण कमेटी की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाये, तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी और तदुपरान्त ऐसे सदस्य को किसी अन्य प्रकार से प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में प्रबन्ध कमेटी की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

अनर्ह सदस्य पर कार्यवाही

49(1) यदि किसी सदस्य या सदस्यों की अनर्हता सम्बन्ध में संज्ञान में आने पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा यथानियत् कार्यवाही युक्ति संगत समय पर नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि अधिनियम की धारा 38 के अधीन ऐसे अनर्ह सदस्य या सदस्यों को प्रबन्ध समिति से निकाले जाने के लिए निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित कर सकता है।

(2) प्राधिकरण के ऐसे निर्देशन के पश्चात् निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि अधिनियम की धारा–38 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के लिए यथा आवश्यक कार्यवाही करेगा।

अध्याय–7

निर्वाचन वाद

निर्वाचन वाद प्रस्तुत किया जाना

50 (1) किसी सहकारी समिति के किसी पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन निर्वाचन वाद प्रस्तुत किया जा सकता है–जो निम्नानुसार अभिदिष्ट किया जायेगा–

(क) प्रारम्भिक एवं केन्द्रीय/जनपद स्तरीय समितियों की दशा में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को जो प्रारम्भिक सहकारी समिति की दशा में विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन परगनाधिकारियों में से किसी एक को यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है और केन्द्रीय सहकारी समितियों की दशा में जिला मजिस्ट्रेट विवाद का निर्णय स्वयं कर सकता है अथवा अपने अधीन अपर जिलाधिकारी में से किसी एक को, यथास्थिति, मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(ख) किसी राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की दशा में प्राधिकरण को किया जायेगा, जो विवाद का निर्णय स्वयं अथवा किसी निर्वाचन आयुक्त को मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सिवाय निम्नलिखित आधार के मध्यस्थ द्वारा या अन्यथा रूप से आपत्ति नहीं की जा सकेगी—

(क) निर्वाचन में भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव का प्रयोग होने के कारण वह निर्वाचन निष्पक्ष नहीं हुआ है, या

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर निम्नलिखित कारणों से सारवान् प्रभाव पड़ा हो:—

(एक) किसी नाम—निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने, या अस्वीकार करने के द्वारा, या

(दो) मत को अनुचित रूप से ग्रहण करने या ग्रहण करने से इन्कार करने या रद्द करने के द्वारा या

(तीन) अधिनियम या नियमावली या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का अनुपालन करने में घोर चूक करने के द्वारा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार, रिश्वत या अनुचित प्रभाव के वही अर्थ होगें, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अधीन प्रत्येक के लिए दिये गये हैं।

(चार) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई भी वाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 45 दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(पाँच) नियमावली में किसी अन्य बात के होते हुए भी निर्वाचन वाद दाखिल करने वाले वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये लेखा शीर्षक में निम्नवत् शुल्क जमा कर मूल रसीद वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी:—

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थिति में—रू0 एक हजार

(ख) जनपद/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में—रू0 दो हजार

(ग) राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में—रू0 पांच हजार,

परन्तु, यह कि शुल्क की रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर वाद स्वीकार्य नहीं जायेगा।

अध्याय—8

अपराध एवं शास्तियां

सूचना न देने पर अर्थदण्ड

51 सहकारी समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) एवं नियम 4 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना न दिये जाने अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा प्राधिकरण अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी का अपेक्षित समस्त सूचनाएं न दिये जानें पर, प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो के विरूद्ध ₹ पांच हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है तथा जिला/केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित सचिव या प्रबन्धक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध ₹ दस हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धित आदेश सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगी।

परन्तु यह कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्धारित समयावधि में सूचना न देने पर अर्थदण्ड

52 जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण को निर्धारित समयावधि के भीतर जनपद की ऐसी सहकारी समितियों जिनकी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल आगामी 4 मास में समाप्त हो रहा है, की सूचना न दिये जाने अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु दिनांक नियत किये जाने पर निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्र अवधारण की कार्यवाही न किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा ₹ पांच हजार तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगी।

परन्तु यह कि अन्य विभाग से सम्बन्धित सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी को सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अथवा अपने विभाग की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यथा

समय उपलब्ध न कराए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी ₹ पांच हजार के अर्थ दण्ड का उत्तरदायी होगा और अर्थदण्ड लगाये जाने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में अंकित करते हुए चस्पा की जायेगी:

परन्तु यह और कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का युक्तिसंगत एक अवसर प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि अर्थदण्ड लगाये जाने के पश्चात् भी यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों में लगातार चूक की जाती है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जा सकती है और नियुक्ति प्राधिकारी के लिए प्राधिकरण की अनुशंसा पर कार्यवाही किया जाना बाध्यकारी होगा।

उम्मीदवार के भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण आचरण पर दण्ड

53 यदि प्राधिकरण की राय में, किसी उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझकर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूटरचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया है, जिसके प्रभाव से उसकी उम्मीदवारी एवं उसके परिणाम पर सारवान् प्रभाव पड़ा है तो प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति विशेष/निर्वाचित सदस्य को अनर्ह घोषित कर सकता है तथा भविष्य में निर्वाचन में भाग लेने हेतु कम से कम तीन वर्ष एवं अधिकतम छः वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

अर्थदण्ड न दिये जाने पर वेतन से कटौती

54 (क) यदि कोई व्यक्ति, प्राधिकरण द्वारा उस पर आरोपित अर्थदण्ड को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा करने में विफल रहता है तो सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उक्त धनराशि सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी के वेतन से कटौती कर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा कर प्राधिकरण को संसूचित करेगा।

परन्तु यह कि अन्य व्यक्ति की दशा में जुर्माने की धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

(ख) उक्त कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने पर प्राधिकरण, राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा कर सकता है।

अध्याय–9

विविध

निर्वाचन पर्यवेक्षक की नियुक्ति

55 (क)सहकारी समितियों के स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्राधिकरण जनपद/मण्डल/ समिति या समितियों हेतु निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है।

(ख) सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश बाध्यकारी होगें।

यात्रा भत्ता

56 सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त किसी भी निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी/गणना अधिकारी को यात्रा भत्ता उनके अपने मूल विभाग से देय होगा।

लघु व्यय की प्रति पूर्ति

57 किसी सहकारी समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गो के निर्वाचन कराये जाने हेतु किसी व्यक्ति विशेष, जिसे प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया गया हो, समुचित रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने में आवश्यकतानुसार, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन सामग्री पर लघु व्यय किया जाता है, तो उस व्यय की प्रतिपूर्ति, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी।

निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण एवं देयता

58 (क)किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गो की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा, विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित किया जाएगा और यह धनराशि उस सहकारी समिति, जिसका निर्वाचन किया जाना है, की निधि से देय होगी।

(ख) सम्बन्धित सहकारी समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का कर्तव्य होगा कि उक्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा नियत बैंक खाता में जमा करेगा और खण्ड (क) में अवधारित शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए निर्वाचन कराने का अनुरोध करेगा;

परन्तु यह कि अवधारण शुल्क जमा न होने की स्थिति में सहकारी समिति का निर्वाचन नहीं कराया जाएगा और ऐसी स्थिति में निर्वाचन न हो पाने हेतु सम्बन्धित विभाग का सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगा।

निर्वाचन हेतु आचार संहित एवं प्रभाव

59 सहकारी समितियों के निर्वाचन नियत रीति एवं निष्पक्ष रूप से कराये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा सहकारी निर्वाचन आचार संहिता प्रख्यापित की जा सकती है जो किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गो हेतु निर्वाचन दिनांक अधिसूचित होने की तिथि से प्राधिकरण द्वारा नियत किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों या प्राधिकारी या प्राधिकारियों पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रभावी रहेगी।

अधिकारी एवं कर्मचारी पर नियन्त्रण	60	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन से सम्बन्धित सभी अधिकारी / कर्मचारी प्राधिकरण के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन होगें।
प्राधिकरण का विनिश्चय	61	इस नियमावली में निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्राविधान के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।
प्राधिकरण के दिशा–निर्देश लागू होना	62	सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कोई विषय जिसके सम्बन्ध में नियमों में कोई स्पष्ट प्राविधान उल्लिखित न हो तो ऐसे में प्राधिकरण के दिशा–निर्देश लागू होगें।
प्राधिकरण के निर्णय की बाध्यता	63	यदि प्राधिकरण के संज्ञान में कोई ऐसा सन्दर्भ लाया जाता है, जो इस नियमावली के किसी प्राविधान/उपबन्ध से आच्छादित न हो तो ऐसे प्रकरण पर प्राधिकरण द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा, जो अन्तिम और बाध्यकारी होगा।
नियमावली के प्राविधानों का प्रभावी होना	64	इस नियमावली के प्राविधानों के असंगत किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के प्राविधान ही प्रभावी होगें।

आज्ञा से,

आर मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।

क्रम संख्या–74

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 04 जुलाई, 2024 ई0

आषाढ़ 13, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

सहकारिता अनुभाग–1

संख्या 222247/XIV-1/2024–07(04)/2016

देहरादून, 04 जुलाई, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात्–

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 28 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 28 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
28– जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 415 (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो:– परन्तु यह कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के क्रम में आंवटित किया जायेगा:– 1. एक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये, 2. दो महिलाओं के लिये, परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा।	28– जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/गण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी/ सक्षम प्राधिकारी उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 415 (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों के अधीन आरक्षित स्थानों के लिये निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों को आरक्षित करेगा और ऐसा आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों के जहां से प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हो, नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चक्रानुक्रम में उस सीमा तक किया जाये, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो:– परन्तु यह कि इस प्रकार आरक्षित क्षेत्रों को निम्न प्रकार से हिन्दी वर्णमाला के क्रम में आंवटित किया जायेगा:– 1. एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये, 2. प्रबंध कमेटी में कुल स्थान का 33% महिलाओं के लिये, परन्तु यह और कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों में जिला स्तर पर समितियों के वर्गों के अन्तर्गत सभापति के 33% पद महिलाओं के लिये, समिति के नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चकानुकम में उस सीमा तक आरक्षित किये जायेंगे, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो; केन्द्रीय सहकारी समितियों एवं शीर्ष सहकारी समितियों की दशा में राज्य स्तर पर सभापति के 33% पद महिलाओं के लिये, समिति के नामों के हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखकर चकानुकम में उस सीमा तक आरक्षित किये जायेंगे, जहां तक स्थान आरक्षित किया जाना आवश्यक हो; परन्तु यह और भी कि जहां एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में आरक्षण एक निर्वाचन क्षेत्र के नाम के अगले अक्षर द्वारा विनियमित किया जायेगा;

			परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी समिति में एक परिवार का एक ही सदस्य उस समिति की प्रबन्ध समिति में किसी पद के लिये निर्वाचन या आमेलन या नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।
नियम 47 का संशोधन	3.		मूल नियमावली में नियम 47 के उपनियम (1) के खण्ड (ध) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात :— (न) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हो। (प) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत अथवा अन्य किसी स्थानीय निकाय, संसद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो जाय। (फ) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की किसी प्रबन्ध कमेटी में सदस्य के रूप में निर्वाचित या आमेलित या नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र न होगा यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो। स्पष्टीकरण— यदि कोई व्यक्ति इस नियमावली के प्रारम्भ के समय किसी समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्य के रूप में पद धारण किये हो और ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस पद पर पुनः निर्वाचित या आमेलित या नाम—निर्दिष्ट किया जाये तो इस नियम के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि वह ऐसे निर्वाचन या आमेलन या नाम—निर्दिशन के पूर्व एक कार्यकाल के लिये पद पर था। परन्तु यह कि किसी व्यक्ति द्वारा सहकारी नियमावली के नियम 426 या नियम 460 या नियम 461 या अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन संगठित प्रबंध कमेटी के सदस्य के रूप में धारित पदावधि की गणना इस नियम के अधीन अवधि की संगणना करने के लिये नहीं की जायेगी। परन्तु यह और कि कोई सदस्य, जो लगातार कम से कम पांच सहकारी वर्ष तक पद पर न रहा हो, (अर्थात वह किसी सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी का सदस्य न रहा हो) उस समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचन या आमेलन या नाम निर्दिशन के लिए पुनः पात्र हो जायेगा।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव।